

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

—: अधिसूचना :-

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-339/2025-

पटना, दिनांक मई, 2026

श्री अजीत कुमार प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी को वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-09.04.2026 से 23.04.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अजीत कुमार प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632 दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उपर्युक्त अवकाश के उपभोग के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-339/2025-884

पटना, दिनांक 13 मई, 2026

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी० गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री अजीत कुमार प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh
12/05/26.
सरकार के अवर सचिव।